Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

ASCI
Agriculture Skill Council of India

सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT
& ENTREPRENEURSHIP

N·S·D·C
National
Skill Development
Corporation
Transforming the skill landscape

कृषि कौशल से...

...राष्ट्र निर्माण

भारतीय कृषि कौशल परिषद

भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) का गठन जनवरी 2013 को किसानों, खेती एवं मजदूर श्रमिक, स्व–रोजगार और विस्तार कार्यकर्ता, जो संगठित एवं असंगठित कृषि और संबंधित उधोगों में लगे हुए हैं, उनके कौशल विकास और क्षमता निर्माण में सेतु की भूमिका निभाने के लिए कारपोरेट मामलों के कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत किया गया।

विज़न

कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में मजबूत और उद्यमिता विकास के लिए अद्योग से जुड़ी स्थायी पारिस्थितिक प्रणाली का निर्माण।

उद्देश्य

- कौशल/क्षमता मानकों और योग्यता का निर्धारण और राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) का विकास।
- विशिष्ट जरुरतों के अनुसार कौशल सूची की तैयारी और रखरखाव
- क्षेत्र विशेष के अनुसार कौशल विकास योजनाओं का विकास
- संबंद्धता और मान्यता प्रक्रिया का मानकीकरण
- संबंद्धता, मान्यता, आंकलन और व्यावसायिक संस्थानों/कार्यक्रमों का प्रमाणीकरण
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) का नियोजन और क्रियान्वयन
- उत्कृष्ट प्रशिक्षण
- एक अच्छी तरह से संरचित, क्षेत्र विशेष श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) को स्थापित करना जो नियोजन और प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद कर सके
- सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाना

एनओएस

एक साथ कौशल, ज्ञान और मूल्यों को लाकर सर्वोत्तम प्रथाओं का वर्णन करना

समग्र विकास के लिए एक प्रयास

एनओएस को विकसित करना और हितधारकों के विभिन्न रोजगारों से जोड़ना

एलएमआईएस

औद्योगिक क्षेत्र की मांग और जरुरतों का आंकलन

कौशल अंतराल, कार्य के अनुसार नौकरी की उपलब्धता का आंकलन, श्रमिकों के व्यावसायिक मानकों की पहचान और जानकारी पर शोध करना

तय किए गए लक्ष्य में प्रशिक्षण

संबद्धता एवं प्रत्यायन

प्रशिक्षण भागीदार के प्रस्तावों और संबंद्धता का आंकलन

विशिष्ट एनओएस के आधार पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करना

प्रशिक्षण भागीदारों को गुणवत्ता प्रशिक्षण देने के लिए मदद देना

आंकलन और प्रमाणन

आंकलन करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया का विकास करना आंकलन

मानदंड और प्रश्न बैंकों का विकास करना

उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद प्रमाणित करना

उद्योग को लाभ

- रेडीमेड कुशल कार्यबल सूची
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नवीनीकृत पाठ्यक्रम
- प्रभावी कौशल उपयोग
- नए शोध निष्कर्षों, प्रथाओं और प्रौद्योगिकी को अपनाना और उनका प्रचार–प्रसार
- सम्पूर्ण कार्यबल में उच्च स्तर का कौशल अपनाना
- श्रमिकों को आकर्षित करने और अवधारण के लिए उपयुक्त उपाय सतत आर्थिक विकास के लिए उद्योग को सशक्त बनाना

कर्मचारियों को लाभ

- दक्षताओं की पहचान
- कैरियर में बेहतर प्रगति
- दक्षताओं का पुनः परिमार्जन और कौशल की हस्तांतरण क्षमता
- बेहतर रोजगार क्षमता
- बहु कौशल विकास, नौकरी की सुरक्षा के लिए अग्रणी

किसानों को लाभ

- नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी एवं उत्पादक लागत
- परिणाम के माध्यम से प्रभावी कृषिशास्त्रीय समाधान आधारित प्रशिक्षण
- कौशल की औपचारिक मान्यता
- कम जोखिम के साथ बढ़ी हुई आय
- उद्यमी क्षमताओं का विकास
- मूल्य श्रृंखला सम्बन्ध
- ऋण की उपलब्धता

विद्यार्थियों/बेरोज़गार युवाओं को लाभ

- विद्यार्थियों/बेरोज़गार युवाओं को नये कौशल प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना
- कृषि के क्षेत्र में करियर अवसरों के बारे में जानकारी देकर रूचि को बढाना
- उद्यम कौशल एवं दक्षता को स्वरोजगार के प्रोत्साहन के लिए विकसित करना
- विद्यार्थियों एवं युवाओं में सीखने की अवधारणा और समझ को जीवनपर्यंत प्रक्रिया के रूप में बढावा देना
- गैर पारंपरिक विद्यार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराना– जिन्हें आगे पढ़ने के अवसर प्राप्त नही हुए
- कौशल इकोसिस्टम में प्रवेश और अपने हुनर को ऊंचाई पर ले जाने के मौके हासिल करने के अवसर प्रदान करना
- प्रासंगिकता और गुणवत्ता के संदर्भ में कौशल संबंधित मांग को पूरा करना

केंद्र सरकार के साथ सक्रिय सहभागिता

कृषि मंत्रालय

एएससीआई कृषि मंत्रालय के सभी तीन प्रमुख विभागों अर्थात कृषि और सहकारिता (DAC), पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (DADF), और ICAR के विभाग के साथ कार्य कर रहा है. सहयोग के प्रमुख क्षेत्र निम्न है

- उच्च रोजगार / जॉब रोल्स के क्षेत्रों की पहचान तथा उसके बाद उनके लिए नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स (NOS) एवं प्रशिक्षण मोड्यूल को विकसित करना।
- 102 KVK, 12 DAC&FW एवं 9 DADF प्रशिक्षण संस्थाओं / केन्द्रों को, बिना कोई शुल्क लिए एवं सरल तरीके से अस्थायी मान्यता प्रदान की गई।
- उपरोक्त संस्थाओं के संकाय को ट्रेनर कैप्सूल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 22 ट्रेनर को स्किल ट्रेनर के रूप में प्रमाण–पत्र दिया गया।
- जहाँ भी सम्भव हुआ "ट्रेन द ट्रेनर" कार्यक्रम के लिए DAC&FW / DADF / ICAR के संसाधनों का अधिकतम स्तर तक उपयोग किया गया।
- पूर्व ज्ञानार्जन कार्यक्रम के मान्यता को, अर्ध कुशल एवं कुशल श्रम शक्ति के लिए NSQF से जोड़ा गया।
- प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद RKVY के माध्यम से या अन्य उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्र को सहयोग।
- 6000 उम्मीदवारों को RKVY के माध्यम से इस वित्तिय वर्ष में चुने गए QPs पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- KVK अब इस स्थिति में हैं कि वे किसान समूहों / प्रगामी किसानों के लिए RPL पाठ्यक्रम (पूर्व अध्ययन की मान्यता) संचालित कर सकें।
- रोजगार में वृद्धि करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना के साथ ही कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए व्यावसायिक कार्यक्रमों का संचालन।
- ICAR की नई प्रोद्योगिकी को अंगीकार करना और उसे एएससीआई पाठ्यक्रम में शामिल करना।
- बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ संयुक्त परियोजनाएं।

अन्य मंत्रालयों और / केंद्र सरकार की संस्थाओं के साथ सहयोग

- **MNREGA विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय:** ASCI ने बेयर फुट टक्नीशीयन के जॉब रोल में प्रशिक्षण देने के लिये ग्रमीण विकास मंत्रालय के मनरेगा विभाग से सहयोग किया। पायलट परियोजना को अब तक 4 राज्यों – राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पूरा कर लिया गया है। चरण 1 में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 17 राज्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

- **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय :** ASCI ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को एक कांसेप्ट नोट प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि वानिकी और जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाए, प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

एएससीआई एवं आर्मी की सहकार्यता

एडजुटेंट जनरल (एजी) और NSDC के बीच जनवरी 2016 में MoU हस्ताक्षरित होने के परिणाम स्वरूप सेना से सेवा मुक्त हुए सैनिकों का विभिन्न जॉब रोल्स में प्रशिक्षण शुरू हो गया है ताकि वे सिविल जीवन में जिन्दगी की दूसरी पारी प्रारम्भ कर सकें। उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन जवानों के साथ विमर्श करके जॉब रोल्स को संस्तुत करना / उद्योग जगत से मांग, TOT संचालित करना, प्रशिक्षकों को कौशल विषयक प्रशिक्षण का शुभारम्भ करना तथा मूल्यांकन करना – इस सहयोग के प्रमुख विन्दु हैं। डेयरी फार्मर उद्यमशीलता और जैविक खेती का आरम्भ जून 16 में **रायवाला** में किया गया जहाँ संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध थीं। सेवा कर रहे तथा सेवा मुक्त लोगों को NSQF से सम्बद्ध RPL प्रारम्भ करने और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ASCI ने रिमाउंट एवं वेटेरनरी क्रॉप (RVC) के साथ भी विचार–विमर्श प्रारम्भ किया है।

कृषि SSC और विभिन्न राज्य सरकारों का सहयोग

ASCI ने विभिन्न पहलूओं पर राज्य सरकारों के साथ सहयोग किया है। जैसे–

- विश्वविद्यालयो में NSQF के साथ कम अवधि के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण, मूल्यांकन, कोर्स पाठ्यक्रम और प्रशिक्षुओं को अधिकृत करने के लिए संरेखण। समझौता ज्ञापन द्वारा संयुक्त पाठ्यक्रम का विकास, कार्यक्रम और कार्यवाही आधारित शोध परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे।
- **उत्कृष्टता केंद्रः** कृषि और पशुपालन क्षेत्र को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से इस दिशा में आधुनिकिकरण की जरूरत है। इसके लिए गहरे अनुसंधान, संस्थागत अनुभव और बाजार की समझ की जरूरत है। प्रमुख क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान को विकसित करने के लिए अनुसंधान, नीति और पैरवी की आवश्यकता है अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हो रहे हैं, जैसे– मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, बागवानी, सूअर पालन, रेवड़ आदि जोकि प्रासांगिक सांझेदारों और संस्थानों के साथ विभिन्न राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं।
- **प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT) कार्यक्रमः** आमतौर पर यह देखने में आया है कि कई क्षेत्रों में अच्छे प्रशिक्षकों की भारी कमी है। बाजार और तकनीक में हो रहे तेज बदलाव की संगति में ये कमी गंभीरतौर पर विचारणीय है। ASCI विभिन्न राज्यों में कृषि व उससे संबंधित क्षेत्रों में "प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण" कार्यक्रम के द्वारा तुरंत प्रशिक्षकों का एक समूह विकसित करेगा।
- **विभिन्न क्षेत्रों में ASCI कार्यालयः** समन्वय स्थापित करने और गतिविधियों को बढाने के लिए ASCI विभिन्न स्थानों में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

ASCI ने 4 अंतराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किए हैं जिसमें ट्रांसनेशनल स्टैण्डर्ड का विकास, युनिक एसेसमेन्ट मैथोडोलोजीस की स्थापना करना है ताकि भारतीय मानव संसाधन बाहर जाकर काम कर सके। वह संस्थाए हैं:

- LANTRA, यु के
- एग्री फूड स्किल्स, ऑस्ट्रेलिया
- ताराताही कॉलेज ऑफ डेरीइंग, न्यूजीलैंड
- जर्मन एग्रीबिजनेस अलायन्स, जर्मनी

जर्मन कृषि व्यापार गठबंधन और भारतीय कृषि SSC द्वारा इंडो–जर्मन उत्कृष्ट कृषि केंद्रों का निर्माण

जर्मन कृषि व्यापार गठबंधन (GAA) और भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार दोनों मिलकर भारत में कृषि के क्षेत्र में व्यवहारिक कौशल विकास के लिए भारत–जर्मन कृषि उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करेंगे।

भारत–जर्मन कृषि उत्कृष्टता केंद्र आधुनिक तकनीकों व तरीकों के छोटे और बड़ी अवधि के व्यवहारिक व व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और तकनीकी प्रगति के प्रदर्शनों का आयोजन करेंगे। गतिविधियों का लक्ष्य किसानों, खेत–मजदूर और कृषि से संबंधित उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों तक पहुंच बनाना है। इसके अलावा परियोजना का इस्तेमाल अधिकारिक निजी या राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं सुविधा प्रदाता के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा। यह केंद्र कृषि के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेंगे और कृषि संस्थानों के सहयोग में स्थापित किए जाएंगे। जर्मन एग्री बिजनेस अलायन्स (GAA) के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र

- फसल उत्पादन और वैल्यू चेन का एकीकरण
- फार्म का मशीनीकरण
- मवेशी प्रजनन और दूध उत्पादन, खरीद
- पोल्ट्री का विपणन और अंडा उत्पादन

ASCI का स्कूल स्तर पर संलग्नता

ASCI ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के अंतर्गत, विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुसार कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए कृषि कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कक्षा 9, NSQF के लेवल 1 के बराबर है और तदनुसार कक्षा 12 लेवल 4 के बराबर है NSQF राज्य सरकारों के शिक्षा बोर्डों को अन्य सहायता प्रदान करने के अलावा, प्रशिक्षण के लिए क्वालिफिकेशन पैक प्रदान करता है, मूल्यांकन प्रक्रिया चलाता है और छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। जिन जिन राज्यों में कृषि कौशल पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, उन राज्यवार विद्यालयों की संख्या नीचे दी गई है।

राज्य	स्कूलों की संख्या
हिमाचल प्रदेश	142
हरियाणा	48
पंजाब	95
महाराष्ट्र (मल्टी स्किल फाउंडेशन)	252
छत्तीसगढ़	20
राजस्थान	49
योग	**606**

ASCI का कॉलेज स्तर पर संलग्नता

मानव संसाधन मंत्रालय के विश्वविद्यालय आयोग के कम्युनिटी कॉलेज, B-Voc और कौशल केंद्र के तहत कुल 51 ऐसे कॉलेज हैं जो, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के मानकों के अनुसार, कौशल आधारित प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा और B-Voc पाठ्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं। इनमें से 17 कालेज B-Voc पाठ्यक्रम और 34 कालेज कम्युनिटी कालेज प्रोग्राम कर रहे हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित 1480 छात्रों का ASCI ने मूल्यांकन किया है. लेवल 4 से लेवल 7 तक के सभी पाठ्यक्रमों को QP-NOS के साथ जोड़ा जा रहा है।

ASCI का विश्वविद्यालय स्तर पर संलग्नता

देश में कृषि कौशल और इससे सम्बन्धित गतिविधियों को विकसित करने तथा इनका उन्नयन करने के लिए ASCI, कृषि एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों सहित सभी सम्बन्धित पक्षों के साथ सहयोग कर रही है। ASCI ने निम्न विश्वविद्यालयों के साथ MoU हस्ताक्षरित किया है ताकि इन विश्वविद्यालयों के अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भारत सरकार के नेशनल स्किल फ्रेमवर्क के अनुसार ASCI द्वारा विकसित क्वालिफिकेशन पैक के साथ और अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र देने के साथ समन्वित किया जा सके।

कृषि विश्वविद्यालय

I. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU), लुधियाना
II. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU), कोयंबटूर
III उड़ीसा युनिवर्सिटी ऑफ कृषि एवं प्रौद्योगिकी (OUAT), भुवनेश्वर
IV. बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय (UHS), बगलकोट
V. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV), रायपुर छत्तीसगढ़
VI. कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय (UAHS), शिमोगा, कर्नाटक
VII. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (CAU), मणिपुर
VIII. प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (PJTSAU), हैदराबाद
IX. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (CCSHAU), हिसार
X. बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (BUAT), बांदा
XI. महाराधा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MPUAT), उदयपुर
XII. नवसारी कृषि विश्वविद्यालय (NAU), नवसारी

पशु चिकित्सा / पशु विज्ञान / मत्स्य विश्वविद्यालय

I. गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी (GADVASU), लुधियाना
II. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (TANUVAS), चेन्नई
III. तमिलनाडु मत्स्य विश्वविद्यालय (TNFU), नागपट्टिनम
IV. पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल (WBUAFS), कोलकाता
V. यू पी पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (DUVASU), मथुरा, उत्तर प्रदेश
VI. महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (MAFSU), नागपुर
VII. केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (KVASU), केरल
VIII. श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय (SVVU), तिरुपति
IX. लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार
X. नानाजी देशमुख पशु–चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (NDVSU), जबलपुर

उत्तर प्रदेश रोजगार मेला

उत्तर प्रदेश रोजगार मेलों का आयोजन 19 नवंबर 2016 से 15 जनवरी 2017 तक उत्तर प्रदेश के 20 डिविजन मुख्यालयों में MSDE और NSDC के द्वारा किया गया। कृषि SSC ने लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद और सहारनपुर में सक्रिय भागेदारी की। ASCI ने अपने प्रयासों से अधिकारिक प्रतिभागियों की नीलगिरी प्लाईवुड, सिटी पेट्रो, फोर्ड, आईआरआईएस, नवकिसान बायो प्लांटेक, अक्षण एसोसिएट्स, ज्ञान डेयरी, पारस डेयरी और अन्य अनेक प्रतिष्ठित कृषि कंपनियों में नियुक्ति को सुगम किया है। रोजगार मेले में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सांसद उपस्थित रहे जिन्होंने चयनित प्रतिभागियों को रोजगार पत्र प्रदान किये। निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम की शोभा बढाई–

श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

श्रीमति निर्मला सिथहरमन, माननीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग

जनरल वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त), माननीय राज्यमंत्री विदेश मंत्रालय

श्री मुख्तार अब्बास नकवी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मंत्री मानव संसाधन मंत्रालय

कौशल भारत प्रदर्शनी 2016, कानपुर

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर 2016 को रेलवे मैदान, कानपुर में कौशल भारत प्रदर्शनी का उद्घाट्न किया। श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि स्टाल की शोभा बढाई और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतेंद्र आर्या से बागवानी के क्षेत्र में और अधिक कौशल विकास और अन्वेषी होने की बात की। चार दिवसीय कौशल भारत प्रदर्शनी 22 दिसंबर 2016 को संपन्न हुई।

उद्घाटन के दौरान निम्नलिखित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे:

श्री राम नाइक, माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

श्री राम गोविंद चौधरी, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश

डॉ. मुरली मनोहर जोशी, माननीय सांसद, कानपुर

श्री देवेंद्र सिंह, माननीय सांसद, अकबरपुर

मणीपुर कौशल रोजगार मेला

कृषि SSC ने 2 दिसंबर 2016 को कौशल रोजगार मेला इंफाल मणीपुर में भाग लिया। मेले का आयोजन कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय की एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किया गया। मणीपुर राज्यपाल माननीय डॉ. नज्मा हेप्तुल्ला ने रोजगार मेले का उद्घाट्न किया। माननीय राज्यपाल ने ASCI स्टॉल पर समय बिताया। मणीपुर के मुख्यमंत्री श्री ओकरम इबोबी सिंह और रोजगार एवं श्रम मंत्री श्री टी. वऐफई ने कौशल रोजगार कार्यक्रम की शोभा बढाई। माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय राज्यपाल ने सभी सफल छात्रों को कृषि कौशल प्रमाण–पत्र प्रदान किए।

पूर्व अध्ययन की मान्यता (RPL)

पूर्व अध्ययन की मान्यता (RPL) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति द्वारा, औपचारिक अध्ययन प्रक्रिया की परिधि से बाहर प्राप्त किए गए कौशल और ज्ञान को स्वीकार किया जाता है, मूल्यांकित किया जाता है और उसे अविवादित मान्यता प्रदान की जाती है। यह वह साधन है जिसके द्वारा मौजूदा दक्षताओं को, इस तथ्य पर बिना ज़ोर दिए मूल्यांकित और प्रमाणित किया जाता है कि उन दक्षताओं को कैसे, कब और कहाँ अर्जित किया गया।

कृषि जैसे संगठित क्षेत्र में जहाँ अधिकांश खेतिहर मजदूर स्कूल तक की पढाई पूरी नही कर पाए हैं या अशिक्षित हैं, लेकिन अपना काम करते करते उन्होंने अपने काम से सम्बन्धित पेशेवर कौशल अर्जित किया है, ऐसे क्षेत्र में आरपीएल (पूर्व अध्ययन की मान्यता) की महत्ता अत्यधिक है। उनके कौशल को मान्यता मिलने से वे विभिन्न सरकारी योजनाओं में भागीदारी करने के सशक्त दावेदार बन जाते हैं तथा व्यष्टि ऋणों के लिए उनकी ऋण–साख मजबूत हो जाती है। यदि इसे NSQF से पूरी तरह जोड़ दिया जाए, तो RPL प्रमाणीकरण, इस व्यापक समूह में से कुछ को औपचारिक शिक्षा/प्रशिक्षण की ओर उन्मुख एवं प्रेरित कर सकता है।

पूर्व अध्ययन की मान्यता (RPL) के लाभ

- ❖ कर्मचारियों को अध्ययन प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- ❖ नए कौशल सीखने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है।
- ❖ अविनियमित कार्यदल को कौशल का यूनिफार्म प्रमाणपत्र प्रदान करता है।
- ❖ गैर–पारंपरिक छात्रों तथा ऐसे लोगों के लिए जो आगे की पढाई नही कर सके उनके लिए मार्ग प्राप्ति और उपयोग की सुविधा प्रदान करता है।
- ❖ औपचारिक व्यवस्था के बाहर ज्ञानार्जन के मूल्य को मान्यता देता है अर्थात काम के स्थान पर ही ज्ञान प्राप्त करने को महत्व और मान्यता देता है।
- ❖ कौशल पर्यावरण प्रणाली में प्रवेश देकर उर्ध्व गतिशीलता के माध्यम से उच्च कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।
- ❖ ज्ञानार्जन के सम्बन्ध में प्रत्याशी के दृष्टिकोण और समझदारी को विस्तृत करता है कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है।
- ❖ सहभागी के आत्म सम्मान की वृद्धि करता है और किसी भी व्यक्ति को यह आत्म विश्वास प्रदान करता है कि उनके पास कौशल है तथा उनके हुनर को मान्यता प्राप्त है।
- ❖ राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (NOS) के माध्यम से उनके मौजूदा कौशल को दिशा और मार्ग प्राप्त होता है।
- ❖ औपचारिक रूप से उनके कौशल को मान्यता प्राप्त होती है और वे अपने कौशल के आधार पर ऋण तथा अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- ❖ कार्य क्षेत्र, उत्पादकता तथा कर्मचारियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है।
- ❖ काम पाने की सम्भवना तथा उनके श्रम की एक स्थान से दूसरे स्थान की गतिशीलता के सम्बन्ध में श्रमिक के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करता है।
- ❖ महिला मजदूरों को पुरुषों के बराबर मजदूरी पाने का अवसर प्रदान करता है तथा महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करता है।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कृषि और कृषि सम्बंधित उद्योग में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। सरकारी निर्देशों के साथ जो कि कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रमाणित प्रशिक्षकों के लिए अनिवार्य है, ASCI विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न कार्य भूमिकाओं के लिए एक नियमित आधार पर कार्यक्रम (TTT) का आयोजन करता है। TTT कार्यक्रम प्रशिक्षकों को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) और/या कृषि से संबंधित क्वालिफिकेशन पैक से संरेखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों को प्रभावी ढंग से, निर्देश, प्रशिक्षण, सलाह देने और उनका आकलन करने के लिए तैयार करता है।

TTT कार्यक्रम का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NOS) से एवं विभिन्न कार्य भूमिकाओं के लिए देश में प्रशिक्षण के बदलते परिवेश से प्रशिक्षकों को परिचित कराना है।

इस वित्त वर्ष में हमने PAU (लुधियाना), KGVK (रांची), कृषि विज्ञान केन्द्र (अमरावती), जैन इरिगेशन (अलवर), कृत्रिम अंगकेन्द्र (हैदराबाद), AAU (जोरहाट), CPDO (चंडीगढ़), NDMC (नई दिल्ली), CFMTTI (बुधनी), तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी , WBUAFS (कोलकाता), BAIF (पुणे), IMAGE (भुवनेश्वर), OUAT (भुवनेश्वर), PJTSAU (हैदराबाद), मांड्या (कर्नाटक) में TTT कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। ASCI ने 100 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर भी विशेष TTT का आयोजन किया और 347 केवीके प्रशिक्षकों को प्रमाणित किया है।

ASSOCHAM स्किल सम्मेलन 2016 में कृषि SSC बेस्ट सेक्टर स्किल कॉउंसिल अवार्ड से सम्मानित

15 मार्च 2016 को आयोजित ASSOCHAM के द्वितीय स्किल सम्मेलन में ASCI (एग्रीकल्चर स्किल कॉउंसिल ऑफ इंडिया) ने बेस्ट सेक्टर स्किल कॉउंसिल अवार्ड प्राप्त किया।

यह पुरस्कार ASSOCHAM द्वारा इंडियन सेक्टर स्किल कॉउंसिल में उन्हें सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया जिन्होंने देश में कौशल विकास के प्रति अतुलनीय प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। यह (कौशल विकास) आज देश के सामने विद्यमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है।

यह पुरस्कार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा सम्मेलन के आरम्भिक सत्र में प्रदान किया गया. एएससीआई की ओर से डॉ सतेंदर आर्या, CEO, ASCI ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

क्वालिफिकेशन पैक्स (QP) और राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (NOS) का विकास

जनसंख्या बढने के कारण, भोजन और खेती के उत्पादों की मांग बढ़ रही है लेकिन कृषि उत्पादकता में वृद्धि न होने के कारण आपूर्ति / उपज स्थिर बनी हुई है। इसका मुख्य कारण खेती का गलत प्रबन्धन और फसल तैयार होने के बाद पैदावार की होने वाली बर्बादी है। कृषि के क्षेत्र में यथेष्ट कौशल की आवश्यकता है। एएससीआई (ASCI) खेती के काम में लगे मजदूरों, खेती के संगठित या असंगठित क्षेत्र एवं इससे जुडी गतिविधियों में काम कर रहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मजदूरों को, NSOs द्वारा विकसित पद्धति के अनुसार, इस उद्योग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके इनके कौशल को निखारने के लिए कार्यरत है। ASCI ने अब तक 142 क्वालिफिकेशन पैक विकसित किए हैं, जिनके अंतर्गत नई पीढ़ी के लिए जॉब रोल्स पर जोर दिया गया है।

ASCI द्वारा कृषि तथा सम्बध्द क्षेत्र के लिए विकसित क्वालिफिकेशन पैकस (QPs)

कृषि मशीनीकरण और प्रेसिजन खेती

1. सूक्ष्म सिंचाई टेकनीशियन
2. ग्रीन हाउस फिटर
3. ट्रेक्टर परिचालक
4. ग्रीनहाउस परिचालक
5. ट्रेक्टर मेकेनिक
6. कटाई मशीन ऑपरेटर
7. सौर पम्प तकनीशियन
8. कीटनाशक एवं उर्वरक का प्रयोगकर्ता
9. कृषि मशीनरी ऑपरेटर
10. कृषि मशीनरी मरम्मत और रखरखाव के उद्यमी
11. सिंचाई सेवा तकनीशियन
12. एग्रो सर्विस सेंटर / कस्टम हायरिंग उद्यमी
13. रीपर थशर और फसल अवशेष मशीनरी ऑपरेटर
14. सेवा और रखरखाव तकनीशियन–फार्म मशीनरी
15. कृषि मशीनरी प्रदर्शक
16. फार्म कार्यशाला फोरमैन / पर्यवेक्षक
17. फार्म कार्यशाला / सेवा प्रबंधक

कृषि फसल उत्पादन

18. धान कृषक
19. दलहन कृषक
20. मक्का कृषक
21. गेहूँ कृषक
22. कपास कृषक
23. सोयाबीन कृषक
24. गन्ना कृषक
25. जैविक उत्पादन
26 जूट और मेस्टा कृषक

वानिकी / कृषि वानिकी

27. गैर इमारती वनोपज कलेक्टर
28. वन नर्सरी उठाने वाले
29. लाख कृषक
30. इमारती लकड़ी उत्पादक
31. बांस उत्पादक

एग्री–जानकारी प्रबंधन

32. कृषि विस्तार सेवा प्रदाता
33. कृषि विस्तार कार्यपालक
34. सामुदायिक सेवा प्रदाता
35. कृषि क्षेत्र अधिकारी

फसल कटाई के बाद आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

36. आपूर्ति श्रंखला क्षेत्र के सहायक
37. मालगोदाम श्रमिक
38. पैक हाउस कार्यकर्ता
39. पकने चैम्बर ऑपरेटर
40. शीत भंडारण पर्यवेक्षक
41. शीत भंडारण प्रबंधक
42. शीत भंडारण कीपर
43. नियंत्रित वायुमंडलीय दुकान ऑपरेटर

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

44. मृदा नमूना / कलेक्टर
45. मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला सहायक
46. मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला विश्लेषक

मत्स्य पालन

47. हैचरी (मत्स्य) उत्पादन कार्यकर्ता
48. समुद्री कब्जा मछुआरे
49. झींगा किसान
50. एक्वाकल्चर तकनीशियन
51. एक्वाकल्चर कार्यकर्ता
52. अकासकेपिंग सहायक डिजाइनर
53. जलीय सूक्ष्म जीव विज्ञान के सहायक
54. लवणीय जल कृषि किसान
55. केकड़ा मेद किसान
56. फीड तकनीशियन
57. मत्स्य विस्तार सहयोगी
58. मछली पकड़ने की नाव नाविक
59. मछली पकड़ने की नाव चालक

60. मछली पकड़ने की नाव का रखरखाव कार्यकर्ता
61. मछली पकड़ने की नाव का मेकेनिक
62. मीठे पानी में जलीय कृषि किसान
63. हैचरी प्रबन्धक
64. इनलैंड कब्जा मछुआरे सह प्राथमिक प्रोसेसर
65. मत्स्य खेती ऑपरेटर
66. मोबाइल मछली रिटेलर
67. नेट और मंगाई तकनीशियन
68. सजावट मछली तकनीशियन
69. पर्ल संस्कृति तकनीशियन
70. सहायक मछली उपकरणों के लिए सेवा तकनीशियन
71. मत्स्य बीज उत्पादक

पोल्ट्री फार्म प्रबन्धन

72. हैचरी प्रभारी पोल्ट्री
73. ब्रायलर खेत पर्यवेक्षक
74. पोल्ट्री ब्रायलर खेत मजदुर
75. पोल्ट्री फार्म प्रबन्धक
76. पोल्ट्री शेड का डिजाइनर
77. पोल्ट्री फीड, खाद्य सुरक्षा और लेबलिंग पर्यवेक्षक
78. छोटे पोल्ट्री किसान
79. लेयर खेत मजदूर
80. सेटिंग ऑपरेटर
81. चिक ग्रेडिंग तकनीशियन

डेयरी फार्म प्रबन्धन

82. डेयरी किसान/उद्यमी
83. डेयरी कार्यकर्ता
84. डेयरी फार्म पर्यवेक्षक
85. दूध संकलन केंद्र प्रभारी
86. दूध मार्ग पर्यवेक्षक
87. दूध परीक्षक
88. बल्क मिल्क कूलर ऑपरेटर
89. द्रुतशीतल संयंत्र तकनीशियन

सुविधा बागवानी और भूनिर्माण

90. फूलवाला
91. माली
92. छत पर का माली
93. हीड्रोपोनिक्स तकनीशियन
94. नर्सरी कार्यकर्ता
95. सहायक ग्राउंडकीपर
96. आंतरिक लैंडस्केपर
97. अपरेंटिस– आंतरिक लैंडस्केपर

जल विभाजन प्रबंधन

99. सामुदायिक जुटाव
100. गांव पानी तकनीशियन
101. जलग्रहण सहायक
102. जलग्रहण सलाहकार
103. जलग्रहण प्रबंधक
104. जलग्रहण पर्यवेक्षक
105. जलग्रहण इंजीनियर

पशुपालन

106. पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता
107. कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन
108. पशु चिकित्सा नैदानिक सहायक
109. पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक
110. सूअर पालन किसान
111. बकरी किसान

बीज उद्योग खण्ड

112. बीज विश्लेषण प्रभारी
113. बीज प्रसंस्करण संयंत्र तकनीशियन
114. बीज उत्पादन संयंत्र पर्यवेक्षक
115. गुणवत्ता के बीज उत्पादक
116. बीज प्रसंस्करण कार्यकर्ता

बागवानी उत्पादन

117. केला कृषक
118. खट्टे फल उत्पादक
119. आम उत्पादक
120. मिर्च कृषक
121. धनिया कृषक
122. बल्ब फसल कृषक
123. सोलानासयस फसल कृषक
124. कन्द फसलों के कृषक
125. नारियल उत्पादक
126. नारियल के पेड़ के मित्र
127. नीरा तकनीशियन
128. कॉफी बगान कार्यकर्ता
129. चाय बगान के कार्यकर्ता
130. पुष्पविज्ञानी (ओपन खेती)
131. पुष्पविज्ञानी (संरक्षित खेती)
132. विनयार्ड उत्पादक
133. विनयार्ड कार्यकर्ता
134. औषधीय पौधों उत्पादक
135. आवश्यक तेल चिमटा
136. फूल हैंडलर (पैकेजिंग और पेल्लेतिज़िंग)

अन्य संबद्ध

137. शहद की मक्खियाँ पालनेवाला
138. रेशमविज्ञानी
139. वर्मीकम्पोस्ट निर्माता
140. मशरूम उत्पादक (लघु उद्यमी)
141. नंगे पैर तकनीशियन
142. जलवायु परिवर्तन और जोखिम कम करने के प्रबन्धक

आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: मैं गांव में रहने वाला/वाली हूं और कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला में हिस्सा लेना चाहता हूं व प्रमाण–पत्र प्राप्त करना चाहता हूं। कौशल योग्यता हेतु मैं अपना पंजीकरण कैसे करा सकता हूं?

उत्तर: कौशल प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण और प्रमाण–पत्र हासिल करने के लिए इच्छुक प्रतिभागियों को अपना संबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों के जरिये अपना नामांकन भेजने की आवश्यकता है। अपने नाम, शैक्षिक योग्यता, जिस कौशल में प्रशिक्षण चाहते हैं, पूर्ण रिहायशी पता, अपना फोन नंबर, इमेल के साथ हमें सीधा *info@asci-india.com* पर लिख सकते हैं या हमें इस पते पर भेज सकते हैं। पता है– भारतीय कृषि कौशल परिषद, 6वीं मंजिल, जी ऐन जी बिल्डिंग, प्लाट नंबर 10, सेक्टर 44, गुरुग्राम–122 004, हरियाणा।

आप अपने नजदीकी कौशल केंद्र की विस्तृत जानकारी इस लिंक के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं।

http://pmkvyofficial.org/Training-Centre.asp

प्रश्न 2: मैंने पाचंवीं तक शिक्षा ग्रहण की है और मैं कौशल शिक्षण प्राप्त करना चाहता हूं। मैं किस कौशल के अंतर्गत नामांकन करा सकता हूं?

उत्तर: भारतीय कृषि कौशल परिषद ने समाज के सभी वर्गों के लिए कौशल शिक्षण और प्रमाण–पत्र हेतु व्यवस्था की है। आप अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर विभिन्न कौशलों हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

कृपा इस लिंक से अपनी इच्छानुसार कार्य/कोर्स चुनें–

http://asci-india.com/National%20Occupation%20Standards.php

प्रश्न 3: मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता हूं। मैं योजना में कैसे हिस्सा ले सकता हूं?

उत्तर: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए आपको नजदीकी एएससीआई से संबंद्ध प्रशिक्षण केंद्र में पंजीकरण कराना होगा।

आप अपने नजदीकी केंद्र की जानकारी इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं–

http://pmkvyofficial.org/Training-Centre.asp

या आप हमें निम्न जानकारियो के साथः *info@asci-india.com* पर इमेल भी कर सकते हैं।

1. नाम
2. शैक्षिक योग्यता
3. किस कौशल में प्रशिक्षण चाहते हैं
4. पूरी रिहायशी पता (जिला और पिन कोड के साथ)
5. आपका फोन नंबर
6. आपका इमेल (जहां मेल भेजी जा सकें)

प्रश्न 4: मैं एक बेरोजगार युवक/युवती हूं जो पहले अस्थायी तौर पर या ठेके पर काम करता/करती था। मैं पहले से ही कृषि संबंधी एक खास कौशल में प्रशिक्षित हूं। मेरी इस योग्यता की मान्यता के लिए मुझे प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है ताकि मैं कोई नियमित काम प्राप्त कर सकूं। परिषद इसमें मेरी क्या सहायता कर सकता है?

उत्तर: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पूर्व प्रशिक्षित योग्यता की मान्यता (RPL) के तहत आप प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। योजना की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें *info@asci-india.com* पर इमेल करें।

कृपा हमारी वेबसाइट पर भी लोग इन करें–

http://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/PMKVY%20Guidelines%20(2016-2020).pdf

प्रश्न 5: प्रशिक्षण हासिल करने के लिए कितने समय की जरूरत है?

उत्तर: प्रशिक्षण के लिए कुछ तयशुदा घंटों की आवश्यकता है और ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। कम से कम 200 घंटें होंगे।

(सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 1 से 3 महीने और सर्टिफिकेट कोर्स/डिप्लोमा के लिए 6 से 24 महीने)

प्रश्न 6: आधारभूत प्रशिक्षण के लिए मेरा कितना खर्च होगा?

उत्तर: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षु को किसी भी प्रकार की प्रशिक्षण या मूल्यांकन फीस नहीं देनी होगी।

प्रश्न 7 मैंने PMKVY के बारे में सुना है, ये क्या है?

उत्तर: PMKVY का मतलब है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रायलय (MSDE) की एक पहलकदमी है। जिसके तहत

देश के युवाओं को विभिन्न कौशल परिषदों के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रश्न 8 मैं कृषि कौशल विकास परिषद (ASCI) बारे नवीनतम जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

उत्तरः नवीनतम जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट *www.asci-india.com* पर लॉग इन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज *www.facebook.com/asci-india* देख सकते हैं या हमारे ट्विटर अकाउंट *@ASCI_Agriskills* का अनुसरण कर सकते हैं।

प्रश्न 9: यदि मैं प्रशिक्षण एवं प्रमाण–पत्र प्राप्त करता हूं तो मुझे इसका क्या लाभ होगा?

उत्तरः कौशल प्रशिक्षण एवं प्रमाण–पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम का मकसद इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक व्यक्ति को रोजगार हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण केंद्र नौकरी हासिल करने में भी उनकी मदद करेंगे। विभिन्न योजनाओं के तहत जैसे मुद्रा योजना, कौशल प्रमाण–पत्र के आधार पर कौशल ऋण उपलब्ध है ताकि स्वरोजगार को बढावा मिले।

आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न– प्रशिक्षण सांझेदारों हेतु

प्रश्न 10 हम एक प्रशिक्षण संस्थान हैं और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कृषि कौशल परिषद से जुड़ना चाहते हैं। प्राधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम एक प्रशिक्षण सांझेदार कैसे बन सकते हैं?

उत्तरः प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण सांझेदार बनने के लिए आपको NSDC स्मार्ट पोर्टल *http://smartnsdc.org* पर आवेदन करने की आवश्यकता है। NSDC द्वारा अधिकृत मान्यता प्रदान की जाएगी और उसके बाद विशेष रोजगार सूचि/योग्यता पैक हेतु आपको SSC से संबद्ध होना पड़ेगा।

प्रश्न 11 हम सरकारी संस्थान हैं और केंद्रीय सरकार की योजना में भाग लेना चाहते हैं। हम योजना में कैसे भाग ले सकते हैं?

उत्तरः चाहे सरकारी संस्थान हो या निजी, अगर MSDE (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए राशि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण सांझेदार बनने हेतु NSDC स्मार्ट पोर्टल *http://smartnsdc.org* पर संबद्धता के लिए आवेदन करना होगा।

प्रश्न 12 कृषि आधारित सरकारी संस्थान के तौर पर प्रशिक्षण सांझेदार बनने के लिए क्या कोई विशेष प्रक्रिया है?

उत्तरः हां। प्रोवीजनल संबंद्धता के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है। यह 31 मार्च 2017 तक उपलब्ध है, हालांकि नियमित प्रशिक्षण सांझेदार बनने के लिए, सभी संस्थान/संस्था, वो संस्थाएं भी जिनके पास प्रोवीजनल संबद्धता है, को स्मार्ट पोर्टल के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा।

प्रश्न 13 हम एख प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान हैं और केंद्र सरकार की योजना में व्यापक पैमाने पर विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण केंद्र खोलकर सांझेदार बनना चाहते हैं। क्या हम प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए सरकार से धनराशि प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तरः सरकारी अनुदान राशि कुछ निश्चित शर्तों पर उन संस्थाओं के लिए उपलब्ध है जो NSDC के प्रशिक्षण साझेदार हैं। अधिक जानकारी के लिए इस लिंक को देखें–*http://www.nsdcindia.org/*

प्रश्न 14 हम एक प्रतिष्ठित संस्थान हैं और PMKVY के तहत RPL के संचालन में भाग लेने के इच्छुक हैं। RPL के लिए क्या प्रक्रिया है?

उत्तरः PMKVY योजना में भाग लेने के लिए आपको सैक्टर स्किल काउंसिल के जरिये NSDC द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

प्रारूप के लिए देखें, SOP प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2016–2020)

http://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/PMKVY%20Guidelines%20(2016-2020).pdf

प्रश्न–15 हम एक कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय हैं और कृषि परिषद से जुड़ना चाहते हैं। कैसे जुड़ें?

उत्तरः कृषि कौशल परिषद से जुड़ने के कई तरीके हैं जैसे–ToT केंद्र, प्रशिक्षण सांझेदार, उत्कृष्टता केंद्र आदि। ज्यादा जानकारी के लिए *info@asci-india.com* पर संपर्क करें।

आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल– प्रशिक्षकों हेतु

प्रश्न 16 मैं एक प्रशिक्षित कृषि पेशेवर हूं और कौशल पहलकदमी में एक प्रशिक्षक के तौर पर योगदान करने का इच्छुक हूं। मैं एक अधिकारिक प्रशिक्षक कैसे

बन सकता हूं?

उत्तरः प्रशिक्षक के लिए अधिकृत होना अनिवार्य है। प्रशिक्षक प्रमाण–पत्र के लिए आपको प्रशिक्षु प्रशिक्षण कैप्सूल में भाग लेना होगा। प्रशिक्षु प्रशिक्षण कैप्सूल मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करने के बाद आप एक अधिकारिक प्रशिक्षक बन जाएंगे।

प्रश्न 17 मुझे पता चला है कि प्रशिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण कैप्सूल के तहत प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षु प्रशिक्षण कैप्सूल क्या है?

उत्तरः अधिकारिक कौशल प्रशिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण कैप्सूल अनिवार्य है। 15–20 प्रतिभागियों के बैच के साथ विशेष ट्रेड के कैप्सूल संयोजित किए गए हैं। कृषि संबंधित प्रशिक्षक बनने के लिए श्री राजकुमार *raj@asci-india.com* (0124–4670029)से संपर्क करें।

प्रश्न 18 क्या सरकारी योजना में भाग लेने के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र अनिवार्य है?

उत्तरः हां। प्रशिक्षक को विषय ज्ञान कौशल या व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है।

प्रश्न 19 प्रशिक्षु प्रशिक्षण कैप्सूल की अवधि कितनी है?

उत्तरः 10 दिन। जिसमें 3 दिन विषय ज्ञान के लिए होंगे और 7 दिन शिक्षाशास्त्र के लिए होंगे। दोनों ही कक्षा आधारित होंगे। प्रत्येक प्रतिभागी को इसमें उपस्थित रहना होगा और खासतौर पर ज्ञान विशेषज्ञता व व्यवहारिक कौशल मूल्यांकन उत्तीर्ण करना होगा। दोनों मूल्यांकनों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद ही प्रतिभागी को प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।

आमतौर पर पूबछे जाने वाले सवाल– मूल्यांकन कर्ता हेतु

प्रश्न 20 मैं एक सेवानिवृत्त कृषि पेशेवर/अधिकारी/प्राध्यापक हूं और अधिकारिक मूल्यांकनकर्ता बनना चाहता हूं। मैं कैसे बन सकता हूं?

उत्तरः आपको मूल्यांकन एजेंसी से जुड़ना होगा और एजेंसी के जरिये ही अपना आवेदन/प्रस्ताव भेजना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सुश्री श्रृंखला से *shrinkhala@asci-india.com* (0124–4670029)पर संपर्क करें।

प्रश्न 21 मूल्यांकनकर्ता बनने के लिए क्या मुझे कोई परीक्षा देनी होगी या प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा? क्या मुझे मूल्यांकनकर्ता प्रमाण–पत्र दिया जाएगा?

उत्तरः हां। मूल्यांकनकर्ताओं के लिए ASCI के द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा और मूल्यांकन एजेंसी को सूचित किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति SSC से संबद्ध मूल्यांकन एजेंसी के जरिये नामांकन के लिए संपर्क कर सकते हैं। अधिकारिक व्यक्ति को एक समय पर एक से ज्यादा एजेंसी के लिए काम करने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न 22 एक मूल्यांकनकर्ता होने के नाते क्या मैं स्थायी तौर पर परिषद में रहूंगा?

उत्तरः नहीं। मूल्यांकनकर्ता आमतौर पर स्वतंत्र होते हैं और मूल्यांकन एजेंसी से संबद्ध होते हैं। SSC मूल्यांकनकर्ता को स्थायी और पूर्णकालिक कर्मचारी के तौर पर संलग्न नहीं करती।

प्रशन 23 मैं एक कृषि पेशेवर हूं और कौशल प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने के तौर पर अपना योगदान देना चाहता हूं। मुझे किससे संपर्क करना होगा?

उत्तरः कृपया अपना CV श्री सुनील को *sunil.naik@asci-india.com* (0124–4670029)पर भेजें।

प्रश्न 24 मैं एक कृषि पेशेवर/अधिकारी/प्राध्यापक हूं और एक अधिकारिक प्रशिक्षक बनना चाहता हूं। कैसे बन सकता हूं?

उत्तरः आप किसी प्रशिक्षण सांझेदार से जुड़ सकते हैं या SSC विशेषज्ञ प्रशिक्षक पूल का हिस्सा बन सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए श्री राजकुमार से *raj@asci-india.com* (0124–4670029) पर संपर्क करें।

आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल–मूल्यांकनकर्ता एजेंसी हेतु

प्रशन 25 एक संस्थान के तौर पर हम एक मूल्यांकनकर्ता इकाई कैसे बन सकते हैं?

उत्तरः अगर आप मूल्यांकनकर्ता एजेंसी के तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो NSDC को आवेदन देना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए एस लिंक पर देखें। लिंक–*http://www.nsdcindia.org/*

प्रश्न 26 मैं एक संबद्ध प्रशिक्षण सांझेदार हूं क्या मैं एक मूल्यांकन इकाई बन सकता हूं?

उत्तरः नहीं। परस्पर हितों के टकराव से बचने के लिए आप इन दोनों में से एक ही बन सकते हैं।

मान्यता एवं संबद्धता की प्रक्रिया

प्रक्रियाप्रवाह
केंद्रीय मान्यता आवेदन पोर्टल (CAAP)

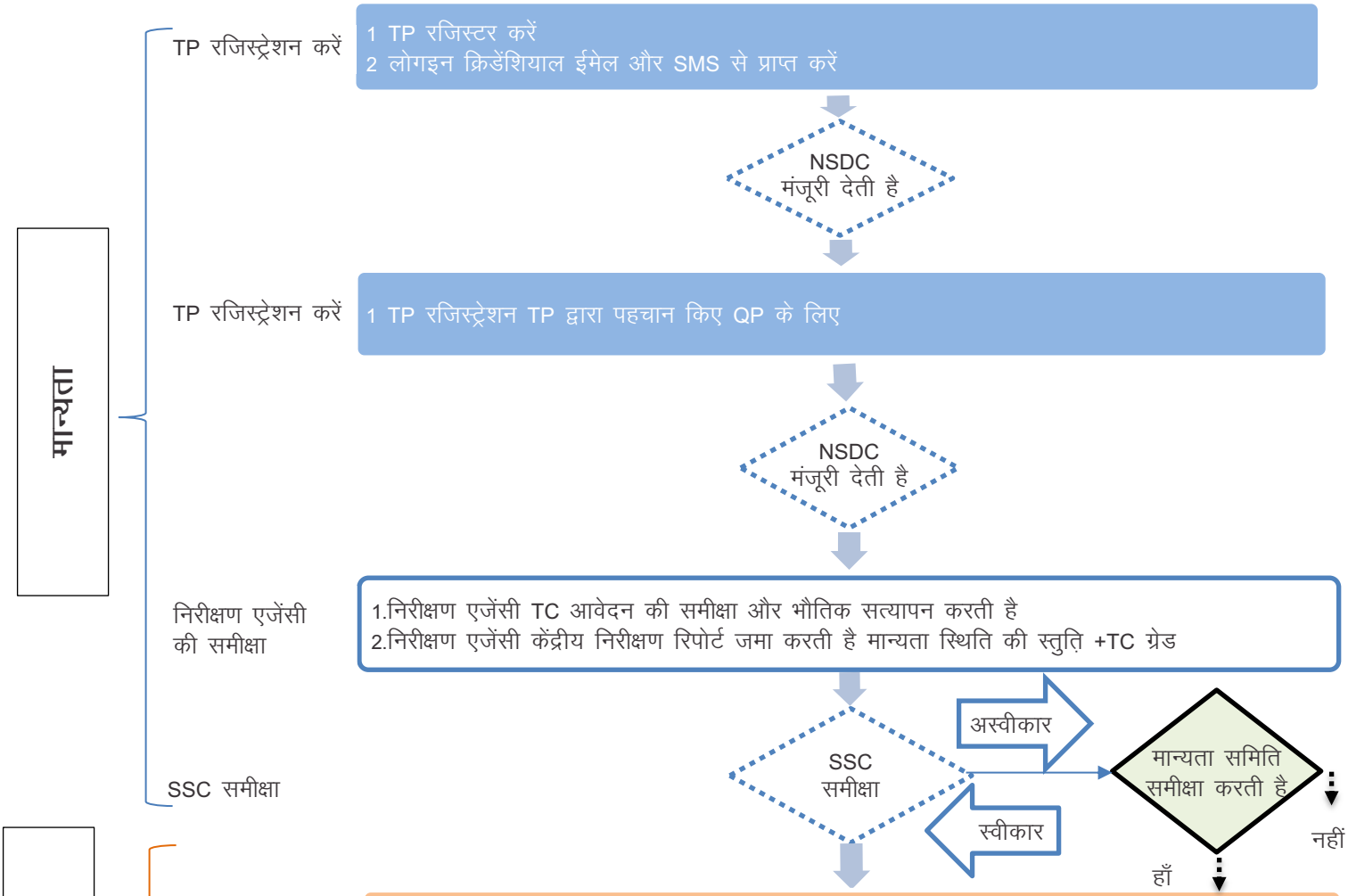

टीसी संबद्धता सर्टिफिकेट प्राप्त करती है SSC चेयरमैन/सीईओ के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पी बी (पिटनी बोज़) के द्वारा स्मार्ट से

क्र. सं.	निरीक्षण एजेंसी की सिफारिशें	एसएससी की सिफारिश	केंद्र का परिणाम	मान्यता समिति का निर्णय	केंद्र का अंतिम परिणाम
1	मान्यता के लिए संस्तुति	मान्यता के लिए संस्तुति से सहमत	मान्यता प्राप्त	लागू नहीं	मान्यता
2	मान्यता के लिए सशर्तसंस्तुति	सशर्त मान्यता के लिए संस्तुति से सहमत	सशर्त मान्यता प्राप्त	लागू नहीं	सशर्त मान्यता
3	मान्यता के लिए संस्तुति नहीं	यह मामला किसी एसएससी के लिए नहीं भेजा गया	मान्यता प्राप्त नहीं	लागू नहीं	मान्यता नही
4	मान्यता के लिए संस्तुति/सशर्तसंस्तुति	मान्यता से असहमत	मामला मान्यता समिति के प्रेषित	समिति ने समिति के मामले की समीक्षा की	मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार

स्मार्ट एनएसडीसी यूआरएल: http://smartnsdc.org/

एग्रीकल्चर SSC के आंचलिक कार्यालय

नॉर्थ जोन

जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़

संपर्क विवरण

कर्नल कमल सोढ़ी, ASCI
309, खेतीभवन, फेज 6, ऐस ऐ ऐस नगर,
मोहाली–160062, पंजाब
मोबाइलः 9915136766
ईमेलः kamalsodhi@asci-india.com

केंद्रीय वेस्ट जोन

उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव, गोवा

संपर्क विवरण

श्री मंजूद आलम
एग्रीकल्चर स्किल कौंसिल ऑफ इंडिया
6वी मंजिल, जी ऐन जी बिल्डिंग, प्लाट नंबर 10, सेक्टर 44,
गुरुग्राम–122004, हरियाणा
मोबाइलः 9599594066
ईमेलः manzood@asci-india.com

साउथ जोन

आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी

संपर्क विवरण

डॉ के रविकुमार, ASCI
नंबर 396, सात्विककुटीर, हिमालयन ढाबे के पास,
हेस्सरघट्टा मेन रोड, चिक्काबानावारा
बेंगलुरु– 560090, कर्नाटक
मोबाइलः 9779362881
ईमेलः krk@asci-india.com

पूर्वी क्षेत्र

बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा

संपर्क विवरण

श्री अमित वर्मा,
बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन
5वी मंजिल, ए विंग, नियोजन भवन,
इनकम टैक्स ऑफिस के पास,
पटना– 800001, बिहार
मोबाइलः 9920732737
ईमेलः amit@asci-india.com

नॉर्थ ईस्ट जोन

असम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश

संपर्क विवरण

कर्नल पी ऐस गुप्ता,
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एन्त्रेप्रेंयूर्शिप
बसिस्ठ चरियाली, ऐन एच–37 बाईपास, गेम विलेज के पास,
लालमति,
गुवाहाटी– 781029, असम
मोबाइलः 9821444019
ईमेलः psg@asci-india.com

भारतीय कृषि कौशल परिषद्

6वी मंजिल, जी ऐन जी बिल्डिंग, प्लाट नंबर 10, सेक्टर 44, गुरुग्राम–122 004, हरियाणा
फोनः +91 124–4670029 / 4814673 / 4814659
ईमेलः *info@asci-india.com* | वेबसाइटः *www.asci-india.com*